उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–44/2023–24

सरकार

बनाम्

सुनील कुमार

–: आदेश :–

दिनांक 1/11/23

सरकारी वकील एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या–90/2023 दिनांक–02.05.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–3289/अप0शा0 दिनांक–24.07.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. वाहन निबंधन सं0–BR09GA-9467, 2. वाहन निबंधन सं0–WB11D-7273, 3. वाहन निबंधन सं0–BR01GG-9801, 4. वाहन निबंधन सं0–JH12K-1448, 5. वाहन निबंधन सं0–BR10GC-1996, 6. वाहन निबंधन सं0–WB41E-5230 एवं 7. वाहन निबंधन सं0–BR09GA-8708 तथा उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स)/कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. वाहन निबंधन सं0–BR09GA-9467, 2. वाहन निबंधन

[redacted]

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त Honda Shine Black निवंधन सं0–BR39L-3265 के विरूद्ध सत्य पाया गया है। यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग कोयला के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त Honda Shine Black निबंधन सं0–BR39L-3265 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, ललमटिया को दें। अन्य एक विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–17/11/23 को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:–177 दि:–30.10.2023

प्रतिलिपि:– थाना प्रभारी ललमटिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति:– जिला परिवहन पदा०, गोड्डा/जिला खनन पदा०, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति:– पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति:– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
30/10/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:40:27 +05:30
Location: 192.168.1.37